

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर**  
**पीठासीन अधिकारी -डॉ०सूरज सिंह नेगी**

प्रार्थना पत्र संख्या 19/2022

तारीख रजू 03.03.2022

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. अकरम पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर

2. मेहरुनिशा पत्नी अकरम जाति मुसलमान निवासी पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर

.....अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक.....17.17.23

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण अकरम पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर एवं मेहरुनिशा पत्नी अकरम जाति मुसलमान निवासी पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 988 रकबा 0.25 है० वाके ग्राम पीलवा नदी में आदेश दिनांक 26/05/2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 988 रकबा 0.25 है० पर भू.अ. निरीक्षक वृत्त चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काशत नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात अप्रार्थीगण अकरम पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर एवं मेहरुनिशा पत्नी अकरम जाति मुसलमान निवासी पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर की ओर से श्री मोइनुद्दीन शाह एडवोकेट द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। वकील अप्रार्थी को बहस हेतु काफी मौके दिये गये। बार-बार आवाज दिलाये जाने के उपरान्त भी वकील अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए और न्ना ही अप्रार्थीगण पेशी पर उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थीगण के न्यायालय में नियत दिनांक को पर्याप्त मौके प्रदान करने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 13/07/2023 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि खसरा नम्बर 988 रकबा 0.25

  
**अति. जिला कलेक्टर**  
**सवाई माधोपुर**



है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत्त चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काशत नहीं है तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया गया है। पुनःश्च परोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2074-77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील परोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में परोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण अकरम पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर एवं मेहरुनिशा पत्नी अकरम जाति मुसलमान निवासी पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 988 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पीलवा नदी आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत्त चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074-77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 988 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पीलवा नदी पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीलवा नदी के आराजी 988 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पीलवा नदी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 17/7/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

(डॉ०सूरज सिंह नेगी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर